



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 22 मार्च, 2021 ई०
(चैत्र 1, 1943 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 26875/ई-2/तेरह
प्रयागराज, दिनांक : 22 मार्च, 2021 ई०
अधिसूचना

सा०प०नि-19

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 31 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से धारा 31 के माध्यम से धारा 24-क के अधीन देशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार का अन्तरण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ धारा 30 के अधीन वर्ष 2020-21 या उसके भाग के लिए जिलावार लाइसेंस फीस एतद्वारा नियत करते हैं-

क्रमांक	जिला का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए सी०एल०-2 लाइसेंस की लाइसेंस फीस	वर्ष 2020-21 के लिए सी०एल०-2 लाइसेंस की प्रतिभूति धनराशि
1	2	3 (रुपये में)	4 (रुपये में)
1	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली एवं कौशाम्बी	7,70,000	77,000
2	अमेठी एवं श्रावस्ती	11,00,000	1,10,000
4	अन्य जिला	22,00,000	2,20,000

आज्ञा से,
पी० गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 26875/E-2-13, dated March 22, 2021 :

No. 26875/E-2-13

Lucknow, dated : March 22, 2021

In exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby fixes district-wise license fee for year 2020-2021 or part thereof under section 30 for the purpose of granting transfer of exclusive privilege for wholesale vending of Country liquor under section 24-A through 31.

(i) FL-2 Licenses—

S.No.	Name of District	License fee of CL-2 Licenses for 2020-21	Security amount of CL-2 Licenses for 2020-21
1	2	3 (In Lac Rs.)	4 (In Lac Rs.)
1	Chitrakoot, Bagpat, Balrampur, Hathras, Shamli and Kaushambhi	7,70,000	77,000
2	Amethi and Shrawasti	11,00,000	1,10,000
3	Other Districts	22,00,000	2,20,000

By order,
P. GURU PRASAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.